

यमुना जल साझाकरण हेतु समझौता

चर्चा में क्यों?

हरियाणा ने [सतलुज-यमुना लकि \(SYL\)](#) नहर से पानी साझा करने के लिये राजस्थान के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किये, जिसमें विशेष रूप से बरसात के दिनों में हथनीकुंड बैराज से अतिरिक्त पानी बहता है।

मुख्य बंदि:

- समझौते के अनुसार, दोनों राज्य हथनीकुंड बैराज की पश्चिमी यमुना नहर से पाइपलाइन बछिाने के लिये एक वसितृत परयोजना रिपोर्ट तैयार करेंगे।
- तीन पाइप सीकर, झुंझनू और चूरू ज़िलों के लिये होंगे, जबकि दादरी ज़िले के माध्यम से दक्षिणी हरियाणा की ओर पानी ले जाने हेतु एक अतिरिक्त पाइप बछियाया जाएगा।

सतलुज-यमुना लकि (SYL) नहर

- इस मुद्दे की मूल जड़ वर्ष 1966 में हरियाणा को पंजाब से अलग किये जाने के बाद वर्ष 1981 का एक विवादास्पद जल-बँटवारा समझौता है।
- पंजाब:
 - पंजाब पड़ोसी राज्यों के साथ किसी भी अतिरिक्त जल के बँटवारे का कड़ा वरिध करता है। वे इस बात पर ज़ोर देते हैं कि पंजाब में अतिरिक्त जल की कमी है और पछिले कुछ वर्षों में उनके जल आवंटन में कमी हुई है।
 - वर्ष 2029 के बाद पंजाब के कई क्षेत्रों में जल समाप्त हो सकता है और सचिआई के लिये राज्य पहले ही अपने भूजल का अत्यधिक दोहन कर चुका है क्योंकि गेहूँ तथा धान की खेती करके यह केंद्र सरकार को हर साल लगभग 70,000 करोड़ रुपए मूल्य का अन्न भंडार उपलब्ध कराता है।
 - राज्य के लगभग 79% क्षेत्र में पानी का अत्यधिक दोहन है और ऐसे में सरकार का कहना है कि किसी अन्य राज्य के साथ पानी साझा करना असंभव है।
- हरियाणा:
 - पंजाब, हरियाणा के हसिसे का जल उपयोग कर रहा है, इसलिये हरियाणा बढ़ते जल संकट का हवाला देते हुए नहर के कार्य को पूरा करने की मांग करता है।
 - हरियाणा का तर्क है कि राज्य में सचिआई के लिये जल उपलब्ध कराना कठनि है और हरियाणा के दक्षिणी हसिसों में पीने के पानी की समस्या है जहाँ भूजल स्तर 1,700 फीट तक कम हो गया है।
 - हरियाणा केंद्रीय खाद्य पूल (Central Food Pool) में अपने योगदान का हवाला देता रहा है और तर्क देता है कि एक न्यायाधिकरण द्वारा किये गए मूल्यांकन के अनुसार उसे उसके जल के उचित हसिसे से वंचति किये जा रहा है।